

03 <sup>2</sup>/<sub>23</sub>

पत्रावली पेश हुई। वहील पार्थी को बार-बार  
आवाज दिलाई गई। वाकजूड आवाज पार्थी  
व वहील पार्थी अनुपायित रहने के कारण  
पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज  
की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमाट होकर नम्बर  
ले कम होकर वाड तकमील शाखिल इफ्तार हो।

अति. जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

